



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07012023-241759
CG-DL-E-07012023-241759

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2023/पौष 16, 1944

No. 85]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2023/PAUSHA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2023

का.आ. 91(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 5053 (अ) तारीख 27.10.2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 27.10.2022 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-552 (विस्तारित) के कि.मी. 238+940 से 254+370 कि.मी. तक (मुरैना से अम्बाह पोरसा रोड़) (मुरैना बाईपास) अतिरिक्त के लिए भूखण्ड के निर्माण, (चार लेन का बनाने /चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन "फ्री प्रेस" में मंगलवार 29 नवम्बर 2022 और "दैनिक चम्बल सुखी" में बुधवार 30 नवम्बर 2022 को प्रकाशित किया गया था

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है

या

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-552 (विस्तारित) के कि.मी. 238+940 से 254+370 कि.मी. तक (मुरैना से अम्बाह पोरसा रोड) (मुरैना बाईपास) अतिरिक्त के लिए भूखण्ड के निर्माण, के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश जिले का नाम: मुरैना					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मुरैना				
	गांव का नाम: देवरी				
1	2929	निजी	सिंचित	0.05	कप्तान, केदारजयकम, अतरसिंह पुत्र देवसिंह भाग 4/5 रोहित ना.बा. पुत्र लक्ष्मण सरपरस्थ माँ खुद भाग 1/5 जाति गुर्जर ठाकुर पता देवरी मुरैना भूमि स्वामी (२९२९)
	गांव का नाम: जीगनी				
2	1213	निजी	सिंचित	0.001	मंजीत पुत्र रामकिशन जाति अहीर पता जीगनी मुरैना 39/86 भाग सोदन पुत्र लायक सिंह जाति अहीर 47/86 भाग पता जीगनी मुरैना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (१२१३)
	गांव का नाम: लालोर				
3	1273	सरकारी	चरनोई	0.059	मध्य प्रदेश शासन (१२७३)

4	1588/1	निजी	सिंचित	0.443	ओमप्रकाश पुत्र करनसिंह भाग 1/2 जाति ब्राह्मण पता लालौर मुरैना नगर मुरैना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी पूरनसिंह पुत्र करनसिंह जाति ब्राह्मण पता लालौर मुरैना नगर मुरैना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी (१५८८/१)
5	1651	सरकारी	चरनोई	0.304	मध्य प्रदेश शासन (१६५१)
गांव का नाम: मुरैना गाँव					
6	2021	सरकारी	नहर	0.042	मध्य प्रदेश शासन (२०२१)
			कुल	0.899	

[फा.सं. CE-RO BPL/30010/05/2017-18D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2023

S.O. 91(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport And Highways number S.O. 5053(E) dated 27.10.2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for (Widening/Four - Laning, etc.) Maintenance, management and operation of NH-552 Ext. on the stretch of land from Km. 238+940 to 254+370 Km. in (Morena Ambah Porsa-Road) (Morena-Bypass) Additional in the District of MORENA in the state of MADHYA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Free Press” 29 November 2022 Tuesday; And “Dainik Chambal Sukhi” 30 November 2022 Wednesday; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received From Any person By The Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the Said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances,

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km. 238+940 to 254+370 km. (Morena Ambah Porsa Road) (Morena-Bypass) Additional of the National Highway no. NH-552 Ext. in the district of MORENA in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: MORENA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/ Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Morena				
	Village: Devri				
1	2929	Private	Irrigated	0.05	Captan, Kedarjaykam, Atarsingh Son Devsingh Part 4/5 Rohit Na.Ba. Son Laxman Sarpastha Ma. Khud Part 1/5 Caste Gurjar Thakur Address Devri Murena Land Owner 2929
	Village: Jigani				
2	1213	Private	Irrigated	0.001	Manjit Son Ramkisan Caste Aahir Address Jigani Murena 39/86 Part Sodan Son Layaksingh Caste Aahir 47/86 Part Address Jigani Murena Madhya Pradesh Land Owner 1213
	Village: Lalor				
3	1273	Government	Charagah	0.059	madhya pradesh goverment 1273
4	1588/1	Private	Irrigated	0.443	Omprakash Son Karansingh Part 1/2 Caste Brahman Address Lalor Morena Nagar Murena Madhya Pradesh Land Owner Puransingh Son Karansingh Caste Brahman Address Lalor Morena Nagar Murena Madhya Pradesh Land Owner 1588/1
5	1651	Government	Charagah	0.304	madhya pradesh goverment 1651
	Village: Morena Gaon				
6	2021	Government	Canal	0.042	madhya pradesh goverment 2021
			TOTAL	0.899	

[F. No. CE-RO BPL/30010/05/2017-18D]

RAJESH GUPTA, Director